भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 61
जिसका उत्तर दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है

जीएसटी संग्रहण

61. श्री नकुल के. नाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य से माल और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण का ब्यौरा क्या है;
(ख) इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को सरकार द्वारा जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है;
(ग) मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है; और
(घ) क्या जीएसटी परिषद मध्य प्रदेश राज्य सरकार की अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग पर विचार करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 61 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पिछले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य से संग्रहित माल और सेवा कर (जीएसटी) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

	वित्तीय वर्ष			
शीर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
सीजीएसटी	5,719	6,413	6,309	7,280
एसजीएसटी	8,033	8,841	8,225	9,433
आईजीएसटी	6,992	7,575	6,942	8,261
उपकर	4,939	5,526	5,530	6,280
कुल	**25,683**	**28,354**	**27,005**	**31,255**

(ख) और (ग): जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधान के अनुसार तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 1.10 लाख करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में एक के पीछे एक जारी किए गए ऋण को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2022 तक मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण जीएसटी क्षतिपूर्ति देयताओं को पूरा कर दिया गया है। यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया गया है कि जीएसटी मुआवजा कोष में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध थे। केंद्र द्वारा 62,000 करोड़ रु. की शेष राशि उपकर संग्रह के लंबित रहने पर अपने स्वयं के संसाधनों से जारी की गई थी। इसी प्रकार, केंद्र ने क्षतिपूर्ति कोष में क्षतिपूर्ति उपकर का कम संग्रहण होने के बावजूद राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता के लिए अप्रैल से जून 2022 की अवधि के लिए लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति की तुलना में भारत के समेकित कोष से 24.11.2022 को राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की है। मध्य प्रदेश राज्य को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है:-

मध्य प्रदेश राज्य को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति निम्नलिखित वर्ष के लिए (करोड़ रु. में)							
वित्तीय वर्ष	2017-1 8	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
जीएसटी क्षतिपूर्ति	2668	3302	6538	5788	1946	1896	22138

मध्य प्रदेश राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 में 4542 करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2021-22 में 7011 करोड़ रुपए एक के पीछे एक जारी ऋण तथा जुलाई, 2017 से जून, 2022 तक जारी द्विमासिक जीएसटी क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए अप्रैल-जून, 2022 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य को 729.64 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति देय है।

(घ): - संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार, संसद, कानून द्वारा, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, माल और सेवा कर के लागू होने के कारण राज्यों को राजस्व की हानि के लिए पांच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। केंद्र सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****